भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **744**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/4 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के तहत गैर-यूरिया उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य

744. श्री श्रीभरत मथुकुमिल्लि:
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति के अंतर्गत गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से कंपनियों द्वारा स्व-मूल्यांकन करने और अनुचित लाभों की वापसी की प्रक्रिया के संबंध में किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के बाद से सरकार द्वारा वापस किए गए या वसूले गए अनुचित लाभ की कुल राशि कितनी है;

(घ) गैर-यूरिया उर्वरकों के खुदरा मूल्यों पर इन दिशानिर्देशों का क्या प्रभाव पड़ा है और उनके कार्यान्वयन के बाद से बाजार में विशेषकर विशाखापटनम, आन्ध्र प्रदेश में क्या कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ड.) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है कि विशाखापटनम, आन्ध्र प्रदेश के किसानों पर गैर-यूरिया उर्वरकों पर अनुचित लाभ मार्जिन का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और उनके लिए किसी भी शिकायत की रिपोर्ट करने हेतु क्या तंत्र मौजूद है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत पीएण्डके उर्वरक कंपनियों द्वारा फॉस्फेट युक्त तथा पोटाश युक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करने के लिए दिनांक 15.11.2019 तथा 18.01.2024 को जारी किए गए विस्तृत दिशा-निर्देश क्रमश: **अनुलग्नक 'क'** तथा **'ख'** पर दिए गए हैं। दिनांक 15.11.2019 के तर्कसंगतता दिशा-निर्देशों में कंपनियों द्वारा अंतिम लेखा-परीक्षित लागत को प्रस्तुत करने का प्रावधान है, जिनके आधार पर एमआरपी का मूल्यांकन किया जाता है तथा बिक्री की लागत पर 12% से अधिक लाभ को अनुचित माना जाता है। दिनांक 18.01.2024 के तर्कसंगतता दिशा-निर्देशों में कंपनियों द्वारा लेखा परीक्षित लागत के आंकड़ों को प्रस्तुत करने तथा एमआरपी की तर्कसंगतता के मूल्यांकन का प्रावधान है जोकि आयातकों हेतु 8%, विनिर्माताओं हेतु 10% तथा एकीकृत विनिर्माताओं के लिए 12% है।

(ग): विभाग द्वारा अनुचित लाभ के कारण अब तक 99.41 करोड़ रुपए की वसूली की गई है।

(घ) एवं (ड.): एनबीएस स्कीम के तहत पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी की तर्कसंगतता के मूल्याकंन हेतु दिशा-निर्देश एनबीएस स्कीम के तहत सभी उर्वरक कंपनियों पर लागू होते है और इसका प्रभाव पूरे देश में समान होता है। कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए एक आधार आधारित शिकायत पोर्टल https://complaints.dbtfert.nic.in/Complaint/ बनाया गया है।

****

अनुलग्नक-क

सं.23011/1/2018-एमपीआर
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
*****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 15 नवंबर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति का कार्यान्वयन

उपर्युक्त विषय में इस प्रभाग के दिनांक 3.5.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23011/5/2013-एमपीआर के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 1.4.2012 से प्रभावी होने वाली एनबीएस स्कीम के तहत पीएंडके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य की तर्कसंगतता के मूल्यांकन के लिए निम्नानुसार विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने का निदेश हुआ है:

i. आंकड़ा संकलन का मौजूदा प्रपत्र पीएंडके कंपनियों से लागत आंकड़ों के संकलन हेतु प्रयोग में लाया जाता रहेगा।
ii. कंपनियों द्वारा लागत आंकड़ों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के ऑनलाइन मॉड्यूल को एनआईसी द्वारा यथाशीघ्र विकसित किया जाएगा।
iii. आंकड़ा प्रस्तुत करने के ऑनलाइन मॉड्यूल के कार्यान्वयन के उपरांत, कंपनियों को पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम रूप से लेखा-परीक्षित लागत आंकड़े वर्ष में एक बार प्रत्येक वर्ष के अगस्त तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।
iv. निर्धारित समय के भीतर कंपनियों द्वारा लागत आंकड़ों को प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में कंपनी को आगे सब्सिडी के भुगतान को तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक कंपनी उर्वरक विभाग को अपेक्षित लागत आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर देती।
v. उर्वरक विभाग प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर तक पिछले वित्तीय वर्ष के लिए तर्कसंगतता की जांच की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। लागत आंकड़ों को विलंब से प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में उर्वरक विभाग कंपनी द्वारा लागत आंकड़ों को प्रस्तुत किए जाने के दो माह के भीतर तर्कसंगत प्रक्रिया पूरी करेगा।
vi. 12% से अधिक अर्जित लाभों को गैर-तर्कसंगत लाभ' के रूप में माना जाएगा।
vii. तर्कसंगत लाभ की गणना किए जाते समय कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए करों/लाभांशों की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।
viii. लाभ की गैर-तर्कसंगत राशि अर्थात तर्कसंगत लाभ से ऊपर और अधिक के लाभ की वसूली चूककर्ता कंपनियों से की जाएगी।
ix. यदि कोई कंपनी गैर-तर्कसंगत एमआरपी नियत करने के मामले में आदतन चूककर्ता हो तो मामला आईएमसी के समक्ष कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने पर विचार करने हेतु रखा जाएगा

जिसमें वसूली पर दंडात्मक ब्याज का अधिभार, उस कंपनी के उर्वरकों के किसी ग्रेड/ग्रेडों को हटाया जाना अथवा उस उर्वरक कंपनी को ही एनबीएस स्कीम से हटाया जाना शामिल है।

x. यदि किसी उत्पाद के लिए कंपनी का लाभ मार्जिन गैर-तर्कसंगत पाया जाता है तो कंपनी को सब्सिडी के भुगतानों के समायोजनों से पूर्व अभ्यावेदन देने/इनपुट प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाएगा। ऐसा करने में किसी एककालिक कारक पर भी उपुयक्त ढंग से विचार किया जाएगा। ऐसे मामलों में कंपनी को 14 दिन के भीतर अभ्यावेदन देने/टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। एफआईसीसी को कंपनी से प्राप्त टिप्पणियों की 15 दिनों के भीतर जांच करने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद उर्वरक विभाग कंपनी की प्रतिक्रिया की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेगा। यदि कंपनी 14 दिन के भीतर उत्तर नहीं देती है तो यह मान लिया जाएगा कि कंपनी को कोई अभ्यावेदन नहीं देना है और तदनुसार तर्कसंगत लाभ से ऊपर और अधिक की राशि की वसूली की जाएगी।

xi. लाभ मार्जिन का मूल्यांकन प्रत्येक उत्पाद/कंपनीवार किया जाएगा न कि इकाईवार जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि जिस इकाई में इसे निर्मित किया गया उसके निरपेक्ष किसी उत्पाद विशेष के लिए कंपनी एमआरपी को समान ही बनाये रखेगी। तथापि, स्वदेशी और आयातित उत्पादों का तर्कसंगत संबंधी मूल्यांकन पृथक रूप से किया जाएगा।

xii. एमआरपी की तर्कसंगतता की गणना हेतु सूत्र निम्नानुसार होगा:-

यदि निवल एमआरपी + सब्सिडी <= 1.12* बिक्री की लागत हो, तो लाभ मार्जिन तर्कसंगत है
यदि निवल एमआरपी + सब्सिडी > 1.12* बिक्री की लागत हो, तो लाभ मार्जिन गैर-तर्कसंगत है
यहां, निवल एमआरपी = एमआरपी - छूट - डीलर का मार्जिन

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता/-
(गीता मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23386151

सेवा में

निदेशक (सीई), एफआईसीसी,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली

अनुलग्नक-ख

सं.23011/9/2023-पीएण्डके
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

205-डी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 18 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति के तहत फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों (एमआरपी) की तर्कसंगतता के मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देशों के संबंध में।

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 25(1) के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरकों की बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध सरकार की नीतियों के अनुसार निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार, सरकार ने 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति कार्यान्वित की है।

2. अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों/आदेशों के संदर्भ में पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति के तहत फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य की तर्कसंगतता के मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देशों को जारी करने का निदेश हुआ है।

3. दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं/प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

i. यह दिशा-निर्देश 01.04.2023 से प्रभावी होंगे।

ii. एमआरपी की तर्कसंगतता के मूल्यांकन में जीएसटी शामिल नहीं होगी।

iii. पीएण्डके उर्वरक कम्पनियों को उनसे संबंधित श्रेणी के आधार पर अंतर लाभ प्रतिशत अर्थात आयातकों हेतु 8% उत्पादकों हेतु 10% और एकीकृत उत्पादकों हेतु 12% की अनुमति दी जाएगी **(श्रेणीकरण के ब्यौरे सहित गणना का विस्तृत फार्मूला अनुलग्नक-क पर दिया गया है)**

iv. एमआरपी की तर्कसंगतता के मूल्यांकन का आधार बिक्री की कुल लागत अर्थात उत्पादन/आयात की लागत (तैयार उर्वरकों के विनिर्माण हेतु स्व-निर्मित मध्यवर्ती वस्तुओं पर लाभ को छोड़कर), प्रशासनिक ओवरहेड्स, बिक्री और वितरण ओवरहेड्स (प्रोमोशनल खर्च को छोड़कर), निवल ब्याज और वित्तपोषण प्रभार होगा।

v. बिक्री की कुल लागत में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे: (क) निवल ब्याज और वित्तपोषण प्रभारों (अर्थात निवल ब्याज और वित्त पोषण प्रभार=वास्तविक ब्याज व्यय-पीएण्डएल लेखा में दर्शाई गई ब्याज आय) के अतिरिक्त कोई ब्याज (ख) इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु पात्र उर्वरकों के आदान/आयात पर भुगतान की गई जीएसटी/आईजीएसटी।

vi. डीलर के निर्धारित मार्जिन को छोड़कर छूट या प्रोमोशनल व्यय की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

vii. डीएपी और एमओपी हेतु एमआरपी का 2% और एनबीएस के तहत सभी अन्य ग्रेडों के उर्वरकों (टीएसपी, एमएपी, एसएसपी, एनपीकेएस और पीडीएम) हेतु एमआरपी के 4% तक डीलर मार्जिन की कटौती की अनुमति होगी।

viii. तर्कसंगतता का मूल्यांकन उन सभी उर्वरक ग्रेडों के लिए किया जाएगा जिनके लिए एनबीएस स्कीम के तहत घटक के आधार पर (अर्थात सभी पीएण्डके ग्रेडों को मिलाकर जिनके लिए कंपनी द्वारा एनबीएस स्कीम के तहत सब्सिडी प्राप्त की गई है। पीएण्डके उर्वरक कम्पनियों द्वारा सब्सिडी प्राप्त की जाती है तथापि, एकीकृत विनिर्माता, विनिर्माता और आयातकों की 3 श्रेणियों को तीन पृथक श्रेणी/घटक के रूप में माना जाएगा। (अर्थात उदाहरणार्थ सभी आयातित तैयार उत्पाद आयातक श्रेणी में आएंगे)।

ix. कंपनियां अपने लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं में एनबीएस के तहत पीएण्डके उर्वरकों को पृथक घटक के रूप में रिपोर्ट करेंगी। तथापि, एकीकृत विनिर्माता, विनिर्माता और आयातकों की 3 श्रेणियों को तीन पृथक श्रेणियों/घटकों के रूप में माना जाएगा।

x. कंपनियां निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा अनुमोदित लेखा-परीक्षित लागत आंकड़ों सहित लागत लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उनके द्वारा अर्जित अनुचित लाभ का स्व-आकलन करेंगी और पिछले वित्तीय वर्ष के अनुचित लाभ (लागत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर स्व-आकलन) को 10 अक्टूबर तक उर्वरक विभाग को (अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10 अक्तूबर, 2024 तक) रिफंड करेंगी। यदि कंपनियां निर्धारित सीमा से अधिक अर्जित अनुचित लाभ को निर्धारित समय-सीमा में रिफंड नहीं करती हैं तो वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद अगले दिन से रिफंड राशि पर यथानुपात आधार पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूला जाएगा (अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के मामले में ब्याज 1 अप्रैल, 2024 से वसूल किया जायेगा)।

xi. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षित लागत आंकड़ों सहित लागत लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पिछले वित्त वर्ष के लिए 10 अक्तूबर तक (अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10 अक्तूबर, 2024 तक) ऑनलाइन मॉड्यूल में प्रस्तुत की जाएगी।

xii. एनबीएस के तहत सभी कंपनियां/सहकारी समितियां (एसएसपी और पीडीएम इकाइयों को छोड़कर जो बहुत छोटी इकाइयां हैं) एमआरपी की तर्कसंगतता के संबंध में लेखा-परीक्षित लागत आंकड़ों सहित लागत लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट को निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ रखने से पहले समीक्षा करने हेतु एक लेखा-परीक्षा समिति (जिसकी संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित किए गए अनुसार होगी) गठित करेंगी।

xiii. यदि पिछले वित्त वर्ष के लिए 10 अक्टूबर तक कंपनियों द्वारा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लेखा-परीक्षित लागत आंकड़ों के साथ लागत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो कंपनी को आगे सब्सिडी का भुगतान तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक कंपनी अपेक्षित लागत आंकड़े उर्वरक विभाग को प्रस्तुत नहीं कर देती और लागत आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अगले दिन से 1000 रु. प्रतिदिन की

दर से दंड वसूला जाएगा (अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दंड 11 अक्तूबर, 2024 से वसूला जाएगा)

xiv. पीएंडके उर्वरक कंपनियों द्वारा यथाप्रस्तुत एमआरपी की तर्कसंगतता की जांच का कार्य उर्वरक विभाग/एफआईसीसी द्वारा प्रत्येक पूर्ण विगत वित्तीय वर्ष के लिए 28 फरवरी तक (अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 28 फरवरी, 2025 तक) समय पर पूरा किया जाएगा।

xv. उर्वरक विभाग कंपनियों द्वारा अर्जित अनुचित लाभ तथा विभाग द्वारा की गई वसूली संबंधी एक रिपोर्ट आईएमसी के समक्ष रखेगा।

xvi. **कंपनियों द्वारा रिपोर्टिंग का कार्यतंत्र**

सरकार के पारदर्शिता एवं सुशासन के विजन के मद्देनजर, लागत लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी देगा:-

क. ऑनलाइन आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए अद्यतन लागत आंकड़ा प्रपत्र का प्रयोग किया जाएगा (उर्वरक विभाग लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रपत्र के साथ अद्यतन लागत आंकड़ा प्रपत्र जारी करेगा)।

ख. एनबीएस स्कीम के संबंध में उर्वरक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी नीतिगत पैरामीटरों का कंपनी द्वारा अनुपालन।

ग. एनबीएस स्कीम के तहत पीएंडके उर्वरकों के उत्पादन में कंपनी ने कोई अन्य सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया है।

घ. कंपनी ने तैयार उर्वरकों के विनिर्माण के लिए स्व-विनिर्मित मध्यवर्ती वस्तुओं पर कोई लाभ अर्जित नहीं किया है।

ङ. कंपनी द्वारा उर्वरक विभाग को प्रस्तुत सब्सिडी दावे उर्वरक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एनबीएस नीति/अधिसूचना के अनुरूप हैं।

च. आईएफएमएस में प्रस्तुत पीएंडके उर्वरकों के उत्पादन/आयात के आंकड़े और लागत शीट समान हैं। यदि उनमें कोई अंतर हो, तो औचित्य के साथ उसका कारण देना होगा।

छ. कंपनी ने आयातित माल (कच्चा माल/तैयार उर्वरक) का ब्यौरा (एंट्री बिल, इनवॉइस, लेडिंग बिल आदि) एंट्री बिल तैयार होने से 7 दिन के भीतर आईएफएमएस में प्रस्तुत कर दिया है।

ज. इस बात की पुष्टि कि कंपनी द्वारा आईएफएमएस में प्रस्तुत आंकड़े सही हैं।

झ. उर्वरकों (डीएपी/एनपीकेएस, एसएसपी, पीडीएम, जैव-उर्वरक, ऑर्गेनिक उर्वरक आदि) के किसी संयंत्र का विस्तार/नई स्थापना।

ञ. भारत में संयंत्रों का क्षमता उपयोग।

ट. एनबीएस के तहत उर्वरकों के घरेलू उत्पादन में वर्ष के दौरान खपत हुआ कुल कच्चा माल/मध्यवर्ती वस्तुएं नामत: रॉक फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया, प्राकृतिक गैस, यूरिया, पोटाश आदि।

ठ. कोई अन्य जानकारी जो कंपनी/लेखा परीक्षक देना चाहे।

xvii. यदि एमआरपी की तर्कसंगतता की उर्वरक विभाग द्वारा की गयी जांच स्व-आकलन से मेल नहीं खाती है, तो कंपनी को सब्सिडी भुगतानों के समायोजन किए जाने से पहले अभ्यावेदन देने/जानकारी प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, उर्वरक विभाग/एफआईसीसी 14 दिन के भीतर अभ्यावेदन देने/टिप्पणियां प्रस्तुत करने का नोटिस जारी करेगा। एफआईसीसी (पीएण्डके लागत विश्लेषण प्रकोष्ठ) से कंपनियों से प्राप्त टिप्पणियों की अगले 15 दिन के भीतर जांच करने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद एफआईसीसी (पीएण्डके लागत विश्लेषण प्रकोष्ठ) से उत्तर प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर उर्वरक विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि कंपनी 14 दिन के भीतर उत्तर नहीं देती है तो यह मान लिया जाएगा कि कंपनी को कोई अभ्यावेदन नहीं देना है और तदनुसार, तर्कसंगत लाभ से अधिक की राशि को जांचाधीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अगले दिन से यथानुपात आधार पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा। (अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 के मामले में ब्याज 01 अप्रैल, 2024 से वसूल किया जाएगा)।

xviii. लाभ की गैर-तर्कसंगत राशि अर्थात कंपनियों द्वारा स्व-आकलन के आधार पर अथवा उर्वरक विभाग की जांच के आधार पर कंपनियों द्वारा तर्कसंगत लाभ से अधिक के रिफंड नहीं किए गए लाभ, यदि कोई हो, को ब्याज सहित बाद के सब्सिडी भुगतानों में से समायोजित किया जाएगा।

xix. दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन संबंधी किसी विवाद की स्थिति में, मुकदमे का निर्णय नई दिल्ली के न्याय-क्षेत्र वाले न्यायालयों में किया जाएगा।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(निर्मला देवी गोयल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011- 23386151

सेवा में,

पीएंडके लागत प्रकोष्ठ, एफआईसीसी

प्रतिलिपि डीजी-एफएआई, नई दिल्ली को एनबीएस स्कीम के तहत सभी पीएंडके कम्पनियों को सूचित करने के लिए।

अनुलग्नक-I

दिनांक 18.01.2024 के दिशा-निर्देशों के प्रारूप का संलग्नक

विवरण	श्रेणी/खंड		
	क. एकीकृत विनिर्माता	**ख. विनिर्माता**	**ग. उर्वरकों के आयातक**
क. लाभ मार्जिन	बिक्री की कुल लागत का 12%	बिक्री की कुल लागत का 10%	बिक्री की कुल लागत का 8%
ख. तर्कसंगतता मानदंडों का समीकरण	यदि निवल एमआरपी + सब्सिडी <= 1.12* कुल बिक्री लागत है, तो लाभ मार्जिन तर्कसंगत है। यदि निवल एमआरपी + सब्सिडी > 1.12* कुल बिक्री लागत है, तो लाभ मार्जिन गैर-तर्कसंगत है।	यदि निवल एमआरपी + सब्सिडी <= 1.10* कुल बिक्री लागत है, तो लाभ मार्जिन तर्कसंगत है। यदि निवल एमआरपी + सब्सिडी > 1.10* कुल बिक्री लागत है, तो लाभ मार्जिन गैर-तर्कसंगत है।	यदि निवल एमआरपी + सब्सिडी <= 1.08* कुल बिक्री लागत है, तो लाभ मार्जिन तर्कसंगत है। यदि निवल एमआरपी + सब्सिडी > 1.08* कुल बिक्री लागत है, तो लाभ मार्जिन गैर-तर्कसंगत है।
ग. कुल बिक्री लागत	उत्पादन/आयात की लागत(तैयार उर्वरकों के विनिर्माण के लिए स्व-विनिर्मित मध्यवर्तियों पर लाभ को छोड़कर) + प्रशासनिक ओवरहेड्स + बिक्री और वितरण ओवरहेड्स (प्रमोशनल खर्चों को छोड़कर) + निवल ब्याज और वित्तपोषण प्रभार/व्यय (वास्तविक ब्याज खर्च - पीएंडएल अकाउंट में दर्शाई गई ब्याज आय)। (इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र उर्वरकों के आदानों/आयातों पर भुगतान किए गए जीएसटी/आईजीएसटी को कुल बिक्री लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।)		
घ. डीलर मार्जिन	डीलर मार्जिन के लिए डीएपी और एमओपी हेतु एमआरपी के 2% और एमएपी, टीएसपी, एनपीकेएस, एसएसपी, पीडीएम और अन्य हेतु 4% की सीमा तक कटौती की अनुमति दी जाएगी।		
ड. छूट	निर्धारित डीलर मार्जिन को छोड़कर किसी भी छूट या प्रमोशनल खर्चे की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।		
च. एमआरपी	बोरी पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य।		
छ. निवल एमआरपी	यहां निवल एमआरपी = एमआरपी- डीलर मार्जिन (डीएपी और एमओपी के लिए एमआरपी का 2% तथा एमएपी, टीएसपी, एनपीकेएस, एसएसपी, पीडीएम एवं अन्य के लिए एमआरपी का 4%) - एमआरपी पर अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी)		
ज. निवल ब्याज और वित्तपोषण प्रभार	कुल बिक्री लागत में निवल ब्याज और वित्तपोषण प्रभार/व्यय अर्थात (ब्याज और वित्तपोषण प्रभार - ब्याज आय) (ब्याज आय वह आय है जो वित्तीय विवरण अर्थात पीएंडएल लेखा में दिखाई गई है) से अधिक किसी ब्याज की अनुमति नहीं दी जाएगी		
झ. मूल्यांकन पद्धति	लाभ मार्जिन का मूल्यांकन समग्र पीएंडके उर्वरकों के लिए खंड-वार किया जाना है। तथापि, उर्वरकों के एकीकृत विनिर्माता, विनिर्माता और आयातक को पृथक खंड के रूप में माना जाएगा। (लाभ/हानि के अन्तर-खण्ड सेट ऑफ की अनुमति नहीं दी जाएगी)		
क. एकीकृत विनिर्माता	i. वे कंपनियां जिनकी भारत में संयंत्र क्षमताएं हैं/क्षमताएं विकसित की हैं और जो भारत में कच्चा माल के चरण अर्थात रॉक फॉस्फेट और अमोनिया से लेकर तैयार उर्वरकों अर्थात डीएपी/एनपीके तक की समग्र वैल्यू चेन कवर करती है; और		

	ii. वे कंपनियां जो अपनी संयंत्र क्षमताओं का 100% का उपयोग करती हैं; और iii. वे कंपनियां जिन्होंने रासायनिक उर्वरकों, वैकल्पिक नवोन्मेषी उर्वरकों (डीएपी/एनपीकेएस, जैव-उर्वरकों, ऑर्गेनिक उर्वरकों, पीडीएम और एसएसपी आदि) के लिए कम-से-कम 5 एलएमटी क्षमता के साथ नई उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं; अथवा जिन्होंने 01.04.2023 के बाद मौजूदा उत्पादन क्षमता में कम-से-कम 20% अथवा कम-से-कम 5 एलएमटी, जो भी अधिक हो, की वृद्धि करने के लिए निवेश किया है।
ख. विनिर्माता	ये वे कंपनियां हैं जिन्हें भारत के भीतर अपने कारखाने में उर्वरकों का विनिर्माण करने तथा तैयार उर्वरकों की बिक्री करने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार उर्वरक विभाग के साथ एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किया गया है और जो एकीकृत विनिर्माताओं की श्रेणी में नहीं आती हैं।
ग. आयातक	ये वे कंपनियां हैं जिन्हें आयातित तैयार उर्वरकों की बिक्री करने हेतु दिशा-निर्देशों के अनुसार उर्वरक विभाग के साथ एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किया गया है।